E Content for the Student of Patliputra University

Subject Political science

B.A Hons. Part II Paper ~~III~~ (III)

Topic - Amendment of the Indian Constitution

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political science
R.R.S. College, Mokama.

राष्ट्र और समाज में आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, " यद्यपि जहाँ तक संभव हो, हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं, संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि आप इसे कठोर एवं स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर जीवित प्राणवत् एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं।" यही कारण है कि प्रत्येक संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान रहता है।

भारतीय संविधान की धारा 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें संविधान के अलग अलग प्रावधानों के लिए संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।

(1) संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा - यह प्रक्रिया साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया के समान है। संविधान के कुछ उपबंधों में दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी माना जाता है। इसमें राज्य का निर्माण, उसके सीमाक्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन, राज्य विधान मंडल के अनुरोध पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन, नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों एवं आदिम जातियों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएँ आदि इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

(2) संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया— इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तत्पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति से संशोधन प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इस प्रक्रिया द्वारा प्रमुख रूप से मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व के प्रावधान संशोधित किये जाते हैं।

(3) संसद के विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधन की प्रक्रिया — संविधान संशोधन की तीसरी प्रक्रिया जटिल है। इसमें संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संशोधन प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत संशोधित होने वाले प्रावधान हैं — राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केन्द्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय, संघीय तथा राज्य न्यायपालिका संघ तथा राज्य संबंध, सातवीं अनुसूची में कोई सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन के प्रावधान.

संविधान संशोधन की तीनों प्रक्रियाओं के आधार पर निम्न विशेषताएं स्पष्ट हैं —

(1) संशोधन की पहली प्रक्रिया संविधान को सरल संविधान की कोटि में रखता है तो तीसरी प्रक्रिया जटिल संविधान की कोटि में। अर्थात भारतीय संविधान सरल तथा जटिल संविधान का मिश्रण है।

(2) भारत में जब कभी एकदलीय प्रभुत्व शासी व्यवस्था रही है, संविधान की तीनों में से किसी प्रक्रिया में संशोधन काफी सरल रहा है। किन्तु जब संविद सरकारों का दौर चला ...., उनका निष्कर्ष पांच

जो पहली प्रक्रिया से भी संशोधन कठिन लगता है। आवश्यक संशोधन के लिए भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(3) भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। 1967 में गोलक नाथ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में संशोधन से मना किया। परन्तु संसद के निर्णय ने संशोधन का प्रावधान कर दिया। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(4) संशोधन की एक ही प्रक्रिया द्वारा संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता रहा है। 42वें और 44वें संविधान संशोधनों द्वारा व्यापक परिवर्तन लाया गया था।

(5) संघात्मक व्यवस्था के बावजूद संविधान संशोधन हेतु राज्य के विधान मंडल को पहल करने की शक्ति नहीं दी गई है।

(6) संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी अनुच्छेद 368 भी संशोधन के दायरे में है।

(7) संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया है।

~~आलोचक~~ उपर्युक्त स्थितियों के बीच भारतीय संविधान में संशोधन 100 से अधिक बार किया जा चुका है। संशोधनों पर कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्य सहमति रही है। भारतीय संविधान न केवल सरल तथा जटिल संविधान का मिश्रण है बल्कि यह सरलता तथा जटिलता के अतिवाद से भी संविधान की रक्षा करता है।